बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :– स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को पंचम / षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

1. नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या– 329, दिनांक 16.01.2010 द्वारा गठित आंतरिक वेतन समिति द्वारा नगर निकायों में काम करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 एवं 01.01.2006 से सरकारी कर्मियों के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान (जिसका अर्थिक लाभ क्रमशः दिनांक 01.04.1997 एवं दिनांक 01.04.2007 से) तथा उस पर अनुमान्य मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं आवास भत्ता दिए जाने के पूर्व नगर निकायों को अपनी आर्थिक सक्षमता के आकलन का निर्णय लिए जाने की छूट रहने की अनुशंसा प्रदान की गई। इसके कार्यान्वयन के फलस्वरुप वित्तीय भार के लिए सरकार कहीं से उत्तरदायी नहीं होगी।

2. स्थानीय नगर निकाय के कर्मचारी संगठन द्वारा पंचम / षष्ठम वेतनमान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है, जिसके आलोक में राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरुप नगर निकाय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतनमान का पंचम एवं षष्ठम वेतनमान में फिटमेन्ट करने के उद्देश्य से विभागीय पत्रांक– 330, दिनांक 19.01.1991 तथा संशोधित विभागीय पत्रांक– 1374, दिनांक 19.04.1991 द्वारा स्वीकृत चतुर्थ पुनरीक्षित वेतनमान की सूची के आलोक में नगर निकाय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान के फिटमेन्ट करने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना संख्या– 270, दिनांक 12.01.2016 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।

3. फिटमेन्ट हेतु गठित समिति की दिनांक 21.04.2016 एवं दिनांक 19.10.2016 दिवसीय प्रतिवेदन में चतुर्थ वेतनमान में निर्धारित वेतनमान को क्रमशः प्रतिस्थानी पंचम एवं षष्ठम वेतनमान में पदवार वेतनमान निर्धारित करने की अनुशंसा प्रदान की गई। वित्त विभाग द्वारा फिटमेन्ट समिति की अनुशंसा में कतिपय पदों के वेतनमान को संशोधित / शुद्ध किया गया।

उपर्युक्त विन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :–

1. फिटमेंट समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग द्वारा किए गए संशोधन को समेकित करते हुए नगर निकाय कर्मियों को पंचम एवं षष्ठम वेतनमान की स्वीकृति संलग्न अनुसूची के अनुरुप प्रदान की जाती है।
2. पंचम वेतन पुनरीक्षण 01.01.1996 के प्रभाव से तथा आर्थिक लाभ 01.04.1997 से एवं षष्ठम वेतनमान दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से तथा आर्थिक लाभ 01.04.2007 से प्रदान किया जाएगा।
3. पंचम / षष्ठम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नगर निकाय द्वारा अपने आंतरिक संसाधन से किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निकायों को वेतन एवं वेतन मद मे जो राशि दी जाती है उसके अतिरिक्त इस मद में कोई राशि सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 630, दिनांक 31.01.2010 एवं समय–समय पर किए गए संशोधनों एवं जारी अनुसूची के अनुरुप वेतन निर्धारण किया जाएगा।
5. उक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरुप वेतन पुनरीक्षण का लाभ सरकारी कर्मियों की भाँति नगर निकायों के सभी पेंशन भोगियों को भी अनुमान्य होगा एवं इसका पुनरीक्षण वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र के अनुरुप किया जाएगा।
6. अद्यतन अंतर वेतन के बकाए राशि का भुगतान नगर निकायों द्वारा अपने आंतरिक संसाधन स्त्रोत से आसान किस्तों में की जायेगी।
7. उक्त पुनरीक्षण के आधार पर वेतन निर्धारण का सत्यापन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किए जाने के पश्चात ही आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
8. इसके कार्यान्वयन के फलस्वरुप वित्तीय भार के लिए सरकार कहीं से उत्तरदायी नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/4/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5 न० वि० / विविध– 188/2015–2723 न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक :–13/4/17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/4/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5 न० वि० / विविध– 188/2015–2723 न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक :–13/4/17

प्रतिलिपि :– ~~महालेखाकार, बिहार~~ एवं स्थानीय लेखा परीक्षक / वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5 न० वि० / विविध– 188/2015–2723 न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक :–13/4/17

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / वित्त विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार /मुख्य पार्षद, सभी नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत एवं नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद / नगर पंचायत, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची

क्र0 सं0	पद का नाम	01.01.1996 को प्रतिस्थानी वेतनमान	षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान	
			पे बैण्ड	ग्रेड पे
1	पत्रवाहक/अर्दली/रात्रि प्रहरी/चौकीदार	2550–3200	पी0बी0–1 (5200–20200)	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
2	लाईट सूपरवाईजर– सी0	3050–4590	पी0बी0–1 5200–20200	1900
3	निम्नवर्गीय लिपिक– सी0	3050–4590	पी0बी0–1 5200–20200	1900
4	उच्चवर्गीय लिपिक– सी0	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
5	प्रवर कोटि सहायक– सी0 (01.01. 1996 से समाप्त)	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
6	सहायक लेखापाल– सी0	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
7	प्रधान सहायक/लेखापाल/प्रधान सहायक सह लेखापाल– सी0	5000–8000	पी0बी0–2 9300–34800	4200
8	निम्नवर्गीय लिपिक	3050–4590	पी0बी0–1 5200–20200	1900
9	उच्चवर्गीय लिपिक	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
10	कार्यालय अधीक्षक	5500–9000	पी0बी0–2 9300–34800	4600
11	रोकड़पाल– सी0	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
12	कर संग्रहकर्त्ता	2610–3540	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
13	कर दरोगा	3050–4590	पी0बी0–1 5200–20200	1900
14	पेशाकर निरीक्षक– सी0	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
15	वार्ड जमादार/वार्ड मुंशी/सफाई जमादार/स्कील्ड/मिस्त्री/ कारपेंटर/लोहार/मोटर मेकेनिक/टर्नर/फिटर/मोल्डर/ चार्जमेन/ड्रेसर/मिड वाईफ/उपवैद्य	2610–3540	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
16	वार्ड निरीक्षक	2610–3540	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
17	जीप ड्राईवर/ट्रक डाईवर/ट्रैक्टर डाईवर– सी0	3050–4590	पी0बी0–1 5200–20200	1900
18	स्वच्छता निरीक्षक– सी0	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
19	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
20	सहायक स्वास्थ्य पदाधिकारी	2610–3540	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)

21	ट्रेंड दाई	2550–3200	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
22	नर्स ट्रेंड/मीड वाईफ/एलोपैथ/कम्पाउन्डर	2750–4000	पी0बी0–1 5200–20200	1800
23	हकीम/वैद्य	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
24	होमियोपैथिक चिकित्सक	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
25	चिकित्सा पदाधिकारी (एम0बी0बी0एस0)	6500–10500	पी0बी0–2 9300–34800	5400
26	अन्य चिकित्सा पदाधिकारी	5000–8000	पी0बी0–2 9300–34800	4200
27	सर्वेयर	2750–4400	पी0बी0–1 5200–20200	1800
28	वर्कसरकार	2750–4400	पी0बी0–1 5200–20200	1800
29	अमीन	3050–4590	पी0बी0–1 5200–20200	1900
30	ड्राफ्ट मैन	2610–3540	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
31	कनीय अभियंता/स्टीमेटर	5000–8000	पी0बी0–2 9300–34800	4200
32	सब ओवरसियर	3050–4590	पी0बी0–1 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
33	सहायक अभियंता (डिग्री होल्डर)	6500–10500	पी0बी0–2 9300–34800	5400
34	कार्यपालक अभियंता	10000–15200	पी0बी0–3 15600–39100	6600
35	पाईप लाईन मिस्त्री/मेकेनिक/सहायक फायर मैन/पम्प अटेंडेन्ट	2610–3540	पी0बी0–1 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
36	पाईप लाईन इन्सपेक्टर/चार्ज इलेक्ट्रीकल/हेड मेकेनिक	2610–3540	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
37	इन्सपेक्टर सह मीटर लेकर	2610–3540	पी0बी0–1 एस0 5200–20200	1650/- (non-Matric) 1800/- (Matric)
38	सहायक प्रशासक/कार्यपालक पदाधिकारी	6500–10500	पी0बी0–2 9300–34800	4800
39	उपमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	8000–13500	पी0बी0–2 9300–34800	5400
40	लाईब्रेरियन	4000–6000	पी0बी0–1 5200–20200	2400
41	लाईब्रेरियन (स्नातक प्रशिक्षित)	4500–7000	पी0बी0–1 5200–20200	2800

13/4/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।